# प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सौंपने का प्रोसेस

## (संपत्ति के मालिक(नों) की मृत्यु/विकलांगता या वृद्धावस्था के मामलों सहित):

गणपति फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (GFPL) की पॉलिसी के मुताबिक, GFPL में लोन अकाउंट बंद होने के बाद, सभी प्रॉपर्टी मालिकों को 2 वर्किंग डेज़ पहले बताकर, खुद जाकर अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए GFPL ब्रांच ऑफिस जाना होगा। प्रॉपर्टी मालिक/जिसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसे वैलिड और ओरिजिनल पहचान का सबूत (KYC डॉक्यूमेंट्स) साथ रखना होगा और वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच डेस्क पर देना होगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिलने पर, सभी प्रॉपर्टी मालिकों/जिसे चाहिए, उसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिलने की जानकारी देने वाले लेटर पर साइन करना होगा।

लेकिन, कुछ खास हालात में, अगर प्रॉपर्टी के मालिक खुद ब्रांच नहीं जा सकते, तो नीचे दिए गए तरीके को मानना होगा –

अगर प्रॉपर्टी के मालिक किसी विकलांगता या बुढ़ापे या किसी और वजह से, जैसे यात्रा करना/दूसरे शहर/कस्बे या देश में शिफ्ट होना वगैरह की वजह से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेने के लिए GFPL ब्रांच (खुद जाकर) नहीं जा सकते हैं।

प्रॉपर्टी के मालिक को प्रॉपर्टी ऑथराइज़ेशन (अथॉरिटी लेटर/पावर ऑफ़ अटॉर्नी) लेना होगा, जिससे अटॉर्नी को क्लोज़र फ़ॉर्मैलिटीज़ पूरी करने और उनकी तरफ़ से GFPL से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने का अधिकार मिल सके। अगर प्रॉपर्टी के मालिक भारत से बाहर हैं, तो पावर ऑफ़ अटॉर्नी ("POA") को उस देश में इंडियन एम्बेसी/इंडियन कॉन्सुलेट/ट्रेड कमिश्नर ऑफ़ इंडिया/नोटरी पब्लिक के किसी भी ऑथराइज़्ड अधिकारी से अटेस्ट करवाना होगा, जहाँ प्रॉपर्टी के मालिक रहते हैं। अटॉर्नी को अपने KYC डॉक्यूमेंट्स GFPL के पास जमा करने होंगे। इसके बाद, GFPL अटॉर्नी को GFPL से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर जानकारी देगा।

अगर प्रॉपर्टी किसी लीगल एंटिटी की है, तो उस एंटिटी को अपने लेटरहेड पर एक अथॉरिटी लेटर जारी करना होगा जिसमें ऑथराइज़्ड व्यक्ति का नाम और डिटेल्स (KYC डॉक्यूमेंट्स के अनुसार) (कंपनी के मामले में बोर्ड रेज़ोल्यूशन) या संबंधित एंटिटी के संविधान और उससे जुड़े प्रोविज़न के आधार पर जैसा ज़रूरी समझा जाए, लिखा हो।

प्रॉपर्टी के मालिक की अचानक मौत होने पर:

मृतक प्रॉपर्टी मालिक के कानूनी वारिसों/दावेदारों को नीचे दिए गए कानूनी प्रतिनिधि में से किसी एक को पेश करना होगा:

i. प्रमाणित वसीयत या

ii. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या

iii. मृतक की संपत्ति के लिए प्रशासन पत्र या

iv. कानूनी उत्तराधिकारी/जीवित सदस्य प्रमाणपत्र

मरे हुए प्रॉपर्टी मालिक(ओं) के कानूनी वारिसों/दावेदारों को GFPL के पास अपने KYC डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। GFPL के पास यह अधिकार है कि वह कानूनी वारिसों/दावेदारों से GFPL के पक्ष में इंडेम्निटी देने के लिए कह सकता है, जिसमें यह कन्फर्म किया गया हो कि गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद नहीं है। कानूनी रिप्रेजेंटेशन की जांच के बाद, GFPL कानूनी वारिसों/दावेदारों को GFPL से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लेने के लिए कहेगा।

अगर तय समय में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाते हैं, तो बॉरोअर को देरी के समय (डॉक्यूमेंट्स न लेने की वजह से) के लिए हैंडलिंग चार्ज देना होगा। चार्ज की लिस्ट GFPL की वेबसाइट www.ganpatifin.in पर देखी जा सकती है।